

नोटिस एकत्र करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी

नियम 4(1)(i) क

उपदान संदाय (केन्द्रीय) नियम, 1972 के तहत सूचना

श्री रंजन कुमार बरुण (महाप्रबंधक), दिल्ली मुख्यालय को राष्ट्रीय आवास बैंक की ओर से उपदान संदाय अधिनियम के अंतर्गत जारी सभी नोटिस प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है।

इसके अतिरिक्त, श्री रंजन कुमार बरुण (महाप्रबंधक), दिल्ली मुख्यालय को किसी या सभी रजिस्ट्रों को व्यवस्थित रखने, किसी या सभी वैधानिक और/या विनियामक प्राधिकरणों द्वारा मांगे गए प्रपत्रों और सूचनाओं को प्रस्तुत करने और प्राप्त करने तथा समय-समय पर लागू किसी या सभी विधियों, कानूनों, नियमों, अधिसूचनाओं और विनियमों के अंतर्गत राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए और उसकी ओर से किसी या सभी वैधानिक और/या विनियामक प्राधिकरणों से कोई या सभी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है।

दिनांक: 03.03.2024

कृते राष्ट्रीय आवास बैंक

अरिजीत पान

(अरिजीत पान)

प्रबंधक

सामान्य प्रशासन विभाग